



तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर-812007.

पत्रांक P187/2021

दिनांक 03.07.2021

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के भू-सम्पदा के अन्तर्गत ईस्टेट विभाग के निम्नांकित विभिन्न क्षेत्रों के जमीन की बन्दोबस्ती दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2024 तक की अवधि के लिये खुली डाक द्वारा दिनांक 15.07.21 को 3.00 बजे अपराहन क्रय-विक्रय की उप-समिति के माध्यम से की जायेगी। बन्दोबस्ती की शर्तें जमानत की राशि एवं न्यूनतम सरकारी दाम खुली डाक की आम सूचना में अंकित है।

P.187/2021
कुलानुशासक

शर्तें :-

1. खुली डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को संबंधित क्षेत्र के लिये सुरक्षित जमानत की राशि डाक बोलने के एक दिन पूर्व अग्रधन के रूप में न्यूनतम मूल्य की एक तिहाई राशि जमा करनी होगी।
 2. डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ डाक में भाग लेना होगा। साथ ही डाक में भाग लेने वाले व्यक्तियों को अपने थाना का चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 3. जो डाक वक्ता डाक में विफल रहेंगे उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन के रूप में जमानत की राशि डाक समाप्ती के बाद लौटा दी जायेगी।
 4. सफल डाक वक्ता को अग्रधन के रूप में जमा की गई राशि को बन्दोबस्ती की राशि में समायोजित की जायेगी।
 5. डाक समाप्ति के बाद सर्वोच्च डाक वक्ता को उच्चतम डाक की कुल राशि उसी समय या दूसरे दिन तक जमा करनी होगी। यदि ऐसे डाक वक्ता बन्दोबस्ती लेने से इन्कार करेंगे या राशि जमा नहीं करेंगे तो उनके द्वारा अग्रधन के रूप में जमा की गई जमानत की राशि को जब्त कर ली जायेगी।
 6. डाक में वही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जिस पर विश्वविद्यालय का कोई बकाया नहीं है।
 7. बन्दोबस्ती के पश्चात् इसके रख-रखाव की जिम्मेदारी पूरे तौर पर कास्तकार की होगी। विश्वविद्यालय प्रशासन किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
 8. प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति-पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
 9. बन्दोबस्ती के पश्चात् अगर आपके क्षेत्र में भवन निर्माण या सड़क निर्माण का कार्य विश्वविद्यालय प्रशासन करेगी तो इसके लिये कोई मुआवजा देय नहीं होगा।
- बन्दोबस्ती होने वाले क्षेत्रों की सूची इस प्रकार है :-

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	जमीन का रकवा खेती के लायक	जमानत की राशि	न्यूनतम सरकारी दाम
1.	बिजली ऑफिस की जमीन	6.60 एकड़	60,000/-	1,76,000/-
2.	अमरुद वाला तिन-कोना जमीन (भूगोल विभाग के आने जाने वाले रास्ते से 10 फीट जमीन छोड़कर)	1.37 एकड़	4,000/-	11,880/-
3.	चाँद मिश्रा के आम के बगीचा के जमीन की बन्दोबस्ती	लगभग 3 बीघा 10 कड्डा (जिसमें पेड़ भी लगा हुआ है।)	4,000/-	11,990/-
4.	हथकटोरा बगीचा अशर्फ़ी मंडल का बगीचा के अड्डा से दक्षिण स्ना. जुलॉजी विभाग के बाउन्ड्री बॉल तक की जमीन की बन्दोबस्ती	लगभग 6 बीघा (जिसमें पेड़ भी लगा हुआ है।)	17,000/-	50,050/-
5.	सभागार (सिनेट हॉल) के पीछे की जमीन की बन्दोबस्ती।	लगभग 15 कड्डा (जिसमें पेड़ भी लगा हुआ है।)	22,000/-	66,000/-

P.187/2021
कुलानुशासक

U.M.I.S.


This notification display on the university web site.


03/07/21

ज्ञापांक P/88-92/2021 दिनांक 03.07.2021

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. कुलानुशासक महोदय, अध्यक्ष
2. कुलसचिव सदस्य
3. वित्त पदाधिकारी सदस्य
4. कुलपति के निजी सहायक
5. सभी मान्य सदस्यों एवं विश्वविद्यालय थाना प्रभारी से अनुरोध है कि दिनांक 15.07.2021 को 3.00 बजे अपराहन में उपस्थित होकर जमीन की बन्दोबस्ती कराने की कृपा करेंगे ।


कुलानुशासक


03.07.2021